झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–04

सप्तदश (मॉनसून) सत्र
बुधवार, दिनांक–31जुलाई, 2024 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 02.26 बजे अप० तक।
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.सूचना का दिया जाना–

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने व्यवस्था के विषय पर आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली एवं इससे सम्बन्धित मानक पुस्तक **कौल एण्ड शकधर** के अनुसार विधान सभा अध्यक्ष के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करना अथवा आक्षेप लगाना विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। कल चलते सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष का कृत्य भी इस दायरे में है जिसके लिए उनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, नेता प्रतिपक्ष की मंशा आपका अपमान करने का नहीं था अपितु सिर्फ अपनी और अपने दल की बातों को आपके समक्ष रखना था।

आसन के द्वारा सभी बातों को सुनने के बाद ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्रम में कोई कृत्य मर्यादा के प्रतिकूल न हो, इससे किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। मैं इस विषय का अभी पटाक्षेप करता हूँ।

2.प्रश्नकाल–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–54)

(क) उत्तरित कुल–02

क्रम सं०–81	अ०सू०–40	श्री अनन्त कुमार ओझा,	स०वि०स०,
क्रम सं०–82	अ०सू०–49	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल–52, अ०सू० क्रम संख्या–83 से 134 तक।

3.सूचना का दिया जाना(क्रमांक–1 से जारी)–

माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि कोडरमा के डोमचाँच का जल मीनार पहली बारिश में ही धाराशायी हो गया जिसकी जाँच करायी जाय।

माननीय सदस्य, श्री मंगल कालिन्दी ने सूचना के माध्यम से आसन को अवगत कराया कि 233 करोड़ रूपये की लागत से गोविन्दपुर जलापूर्त्ति योजना का कार्य धरातल पर लाया गया था जिसमें घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया गया है, यथाशीघ्र इसकी जाँच करायी जाय।

4.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ–

माननीय सदस्य, डॉ लम्बोदर महतो द्वारा सरकार से जे.एस.एल.पी.एस. एवं एच.जी. एम., बी.एल.एफ. के एम.ओ.यू. विस्तार करने के विषय पर तथा माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा राज्य के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में स्वीकृत पदों के विषय पर दी गयी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना चलते सत्र में चर्चा सम्भव होने के कारण उक्त सूचनाओं को अमान्य किया गया।

5.शून्यकाल–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री मंगल कालिन्दी,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री भूषण बड़ा,
श्रीमती सबिता महतो,
श्री सोनाराम सिंकू,
श्री सरयू राय,
श्री राजेश कच्छप,
श्री भूषण तिर्की,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
श्री रामदास सोरेन,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री समीर कुमार महान्ती,
श्री दशरथ गागराई,
श्रीमती सुनीता चौधरी।

6.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँ–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

7.सभा मेज पर प्रतिवेदन का उपस्थापन–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन, माननीय सदस्य, याचिका समिति द्वारा तेईसवाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किया गया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

8.विधायी कार्य–

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता के द्वारा दिनांक–02 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित **"कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2024"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरांत वापस लिया गया।

9.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँ(क्रमांक–6 से जारी)–

माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

तत्पश्चात् भारी शोरगुल एवं अव्यवस्था के कारण सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक–01.08.2024 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–31 जुलाई, 2024 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।